# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी– अर्चना बुगालिया (आर.ए.एस.)</u>

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 96/2022 | 08.06.2022 | 31.03.2023 |

**अनवान**

1. कांता पुत्री चतरभुज जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. गोपाल लाल पुत्र चतरभुज जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. जगदीश पुत्र चतरभुज जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. रमेशचन्द्र पिता चतरभुज जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. रामलाल पिता चतरभुज जाति ब्राहम्ण मृत्तक के बजाय–
   –कालुराम पिता रामलाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. भगवानलाल पिता गोपीलाल जोशी जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. मोती लाल पिता रामरतन जोशी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. दिनेश चन्द्र पिता रामचन्द्र जोशी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. विनोद कुमार पिता कैलाश चन्द्र जोशी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. मदनलाल पिता बंशीलाल जोशी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. यशवन्त कुमार पिता बंशीलाल जोशी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. घनश्याम पिता सोहन लाल जोशी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. राजाराम पिता सोहन लाल जोशी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. किशन लाल पिता रामरतन जोशी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. शंकरलाल पिता रामरतन जोशी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. भैरूलाल पिता नारायण जाट निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

12. छोगालाल पिता भगवान जाट निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. कालुशंकर पिता रामचन्द्र तिवाडी आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. नारायण लाल पिता दल्ला बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. शंकर लाल पिता मोहन लाल जाट निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. भैरूलाल पिता हीरा बैरवा आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. अम्बा बाई पत्नि रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
18. अम्बाबाई पत्नि रामचन्द्र ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. ज्योति पुत्र चतरभुज ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
20. दुर्गादेवी पुत्री बंशीलाल ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
21. राजकुमारी पत्नि ओमप्रकाश ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

**अप्रार्थीगण**

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री किशन लाल जाट — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

**–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–**

**–:: निर्णय ::–**

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 826 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2322, 381, 4008, 4030, 4031, 4038, 4039, 4048, 4062 कुल किता 9 कुल रकबा 2.24 है0, खाता संख्या 821 की आराजी संख्या 4009 रकबा 0.05 है0, खाता संख्या 822 की आराजी संख्या 4042 रकबा 0.06 है0, खाता संख्या 823 की आराजी संख्या 1602, 4057, 4063 कुल किता 3 कुल रकबा 4.23 है0, प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात [illegible] खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई [illegible] सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण को [illegible] की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 13.07.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 16 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। व वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 17 से 21 के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से आदेशिका पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

अंकन किया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 826 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2322, 381, 4008, 4030, 4031, 4038, 4039, 4048, 4062 कुल किता 9 कुल रकबा 2.24 है0, खाता संख्या 821 की आराजी संख्या 4009 रकबा 0.05 है0, खाता संख्या 822 की आराजी संख्या 4042 रकबा 0.06 है0, खाता संख्या 823 की आराजी संख्या 1602, 4057, 4063 कुल किता 3 कुल रकबा 4.23 है0, कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।
पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 31.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:03:04 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official